न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 99/2020 — अन्तर्गत धारा 88, व 40 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
पवनकुमार पुत्र मुरलीधर जाति साद निवासी गूंगा, तहसील शिव, जिला बाडमेर।		1. मुरलीधर पुत्र अमरदास, 2. चतुर्भुज पुत्र अमरदास, जाति साद निवासी गूंगा, तहसील शिव जिला बाडमेर। 3. कंचन पुत्री मुरलीधर पत्नी किशनजी, 4. हेमा पुत्री मुरलीधर पत्नी मुकेशकुमार जाति साद निवासी गूंगा हाल निवासी मोखेरी तहसील फलौदी जिला जोधपुर।

अधिवक्तागण :– 1. वादी अधिवक्ता – श्री बृजमोहन कुमावत उपस्थित।
2. प्रतिवादी अधिवक्ता :– श्री जेठाराम कुमावत उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार से है। जो पूर्व पुरूष स्व0 अमरदास के वशंज है। जिनका वंश वृक्ष वाद पत्र में अंकित है। वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा गूंगा पटवार मण्डल गूंगा तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर क्रमश 445 व 1092/446 रकबा क्रमश 23.04 बीघा व 75.00 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण को विरासत में मिली है। उक्त भूमि मौजा गूंगा पटवार मण्डल गूंगा तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर क्रमश 445 व 1092/446 रकबा क्रमश 23.04 बीघा व 75.00 बीघा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 02 का 1/2 हिस्सा बनता है। उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी हिन्दु विधि से शासित है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01, 03 से 04 रिश्ते में परस्पर पिता, पुत्र व पुत्रीयां है। वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01, 03 से 04 पिता, पुत्र व पुत्रीयां होने तथा संयुक्त हिन्दू परिवार में जन्म लेने से उनके अधिकार जन्म से ही वादग्रस्त आराजी में निहित हो चुके है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्सा मुजब मौके पर कब्जा काश्त है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्सा व खसरान् के कब्जा काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं है तथा वादी की शादीं हो जाने से वे अपने अपने परिवार सहित वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से की भूमि [illegible] मकान बनाकर रहते है तथा बरसात के मौसम में अपने हिस्सा अनुसार काश्त करते है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते है। इसीलिए वादी द्वारा [illegible] में अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सह खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी होने से खातेदारी घोषणा का पेश किया है।

वाद पंजीयन कर उसमें अंकित तथ्यों के संबंध में पुश्तैनी रेकर्ड में खतौनी बन्दोबस्त का अवलोकन किया गया। वादी के द्वारा सिर्फ प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध ही अनुतोष चाहा है। बाकी प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध किसी प्रकार का

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.02 14:13:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रतिवादी संख्या 03 व 04 प्रतिवादी संख्या 01 की पुत्रीयां होने से पक्षकार बनाये गये है। प्रतिवादी संख्या 02 सिर्फ रेकर्डेड खातेदार होने से पक्षकार बनाये गये है। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता के द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहक बराबर सहखातेदार घोषित किये जाने को स्वीकार कर अपनी अनापत्ति जाहिर की है। उभय पक्ष की ओर से बतौर साक्ष्य अपने बयान शपथ पत्र पेश किये। वादीगण एवं प्रतिवादी गण के द्वारा जरीये अधिवक्ता अदालत में उपस्थित हो एक राय होकर लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर बाद तस्दीक राजीनामा अनुसार सहखातेदारी घोषणा किये जाने का निवेदन किया।

हमने वाद के तथ्यों पर उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी के खतौनी बन्दोबस्त ग्राम मौजा गूंगा पटवार मण्डल गूंगा तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर क्रमश 445 व 1092/446 रकबा क्रमश 23.04 बीघा व 75.00 बीघा भूमि के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी एवं सहदायिकी सम्पति है। जो उन्हें स्व0 अमरदास से विरासत में प्राप्त हुई है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि होने से वादी का उक्त भूमि पर जन्मतः हक है। वादग्रस्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा होने की पुष्टि होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर खेत मौजा गूंगा पटवार मण्डल गूंगा तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर क्रमश 445 व 1092/446 रकबा क्रमश 23.04 बीघा व 75.00 बीघा भूमि की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में से वादी का 1/4 यानि कि सम्पूर्ण रकबे में 1/8 हिस्सा घोषित किया जाकर सहखातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.02 14:13:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner